उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

257430

विक्रय–पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	: कृषि
2.	परगना	: बिजनौर
3.	ग्राम	: यूसुफ नगर उर्फ बणियामऊ
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	: भूमि खसरा संख्या–281
5	मापन की इकाई	: हेक्टेयर

[illegible]

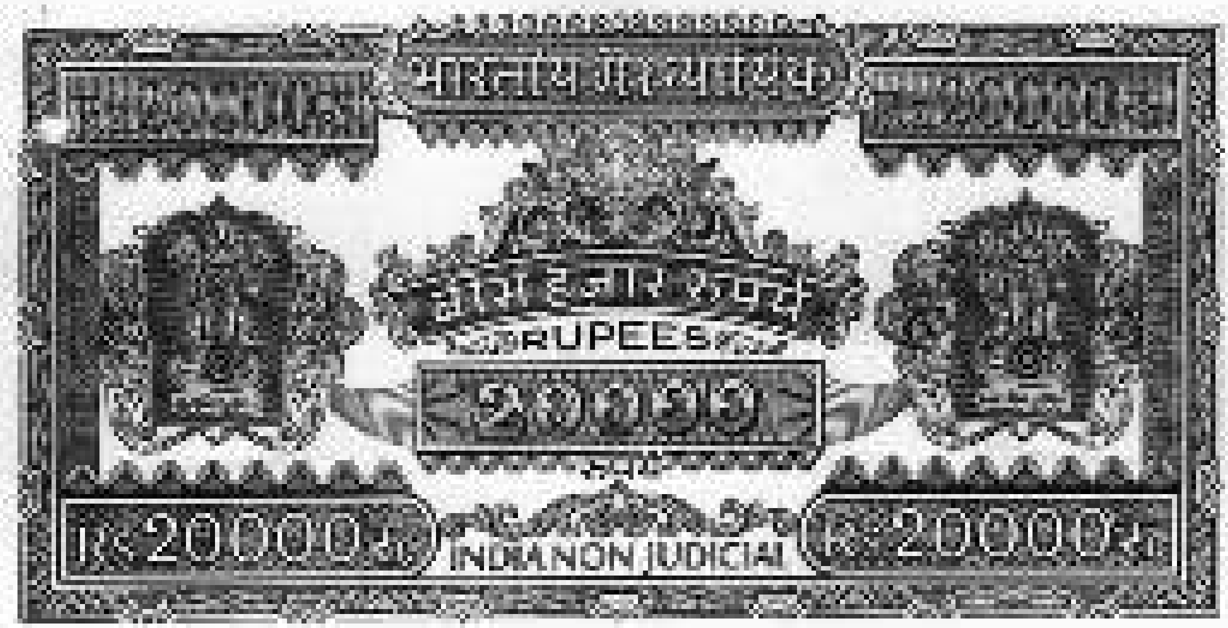

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

168288

- 2 -

6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.316 हेक्टेअर
7.	सम्पत्ति का प्रकार	: कृषि
8.	पेड़ो का मूल्यांकन	: नही
9.	बोरिंग / कुआ / अन्य	: नही
10.	प्रतिफल की धनराशि	: रू0 7,00,245 / –
11.	मालियत	: रू0 3,46,500 / –
12.	स्टाम्प	: रू0 70,100 / –

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs.20000 INDIA NON JUDICIAL Rs.20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

168240

चौहद्दी

खसरा सं0 281

उत्तर	: खसरा संख्या–280, 287
दक्षिण	: खसरा संख्या–277
पूरब	: खसरा संख्या–282
पश्चिम	: खसरा संख्या–277, 275

प्रथम पक्ष की संख्या–01 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
श्रीमती चम्पा देवी पत्नी बली, निवासिनी– ग्राम यूसुफ नगर उर्फ बगियामक परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ व्यवसाय – कृषि		श्रीचन्द पुत्र श्री भोला प्रसाद, निवासी–मिर्जापुर, मिटारी, पोस्ट–नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 व्यवसाय – कृषि

(श्रीमती चम्पा देवी)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 202867

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख श्रीमती चम्पा देवी पत्नी बली, निवासिनी–ग्राम यूसुफ नगर उर्फ बनियाखेड़ा परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् श्रीचन्द्र पुत्र श्री भोला प्रसाद, निवासी–मिर्जापुर, भिटारी, पोस्ट–नयगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

(चम्पा देवी)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 202668

यह कि विक्रेता कृषि भूमि खसरा नं0 281 रकबा 0.315 हेक्टेअर, स्थित ग्राम यूसुफ नगर उर्फ बगियामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ के मालिक कामिल व काबिज है जो विक्रेता की पैतृक सम्पत्ति है जो उसे वरासतन प्राप्त हुई है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या-27 के अनुसार कृषि भूमि विक्रेता के नाम अमल दरामद हो चुका है। उक्त आराजी आज विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और जो कहीं गिरवी, हिबा,

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 202869

ऋणभार, कुर्की, व जमानत आदि से ग्रसित नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है, अब बरजा खुद विक्रेता के उसी आराजी रकबा उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारो सहित बिना छोड़े किसी चीज व हक के खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, बएवज मुब्लिग रू0 7,00,245/− (रुपया सात लाख दो सौ पैंतालिस मात्र) जिसके आधे रू0 3,50,122.50/− (रुपया तीन लाख पचास हजार एक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 202870

सौ बाईस पैसा पचास मात्र) होती है श्रीचन्द पुत्र श्री भोला प्रसाद, निवासी–मिर्जापुर, गिटारी, पोस्ट–नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 को बय कतई किया, और कुल विक्रय धनराशि कब्ल तहरीर दस्तावेज हाजा क्रेता उपरोक्त से नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना आराजी बयशुदा पर आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त का वाकई बखूबी करा दिया, अब विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई हक व दावा निस्बत आराजी बयशुदा व विक्रय धनराशि के

500Rs.

क्रेता से बाकी नहीं रहा, अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होवे, और अगर आराजी बयशुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न मिले या कहीं विक्रय, हिबा, रहनगार, कुर्की व जमानत आदि से ग्रसित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धनराशि मय हर्जा-खर्चा व नुकसान के साथ विक्रेता व वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से जरिये न्यायालय

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी स्थित ग्राम यूसुफ नगर उर्फ बगियामऊ, परगना-बिजनौर के अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की बाजारू कीमत 11,00,000/- रुपया प्रति हैक्टेअर की दर से निर्धारित है इस प्रकार से विक्रीत आराजी रकबा 0.315 हैक्टेअर है जिसकी मालियत रू0 3,46,500/- आती है जो कि

(नि ० ग्र ० भाग्यलेखी)

(नि० ग्र० श्री चन्द्र)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

529724

MAY 2015

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी स्थित ग्राम युसुफ नगर उर्फ बनियाखेड़ा, परगना– बिजनौर के अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की बाजारू कीमत 11,00,000/– रुपया प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है इस प्रकार से विक्रीत आराजी रकबा 0.315 हेक्टेअर है जिसकी मालियत रू0 3,46,500/– आती है जो कि

(कि० अ० नम्रदेवी)

(नि० अ० श्री चन्द्र)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विवरण भुगतान

1. विक्रेता को रु० 5,00,000/– (रुपया पाँच लाख मात्र) जरिये चेक संख्या–619497 दिनांकित 22.11.2006 पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

2. विक्रेता को रु० 2,00,245/– (रुपया दो लाख दो सौ पैंतालिस मात्र) जरिये चेक संख्या–619498 दिनांकित 22.11.2006 पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

([illegible])

([illegible])

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 529275

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 7,00,245/- (रुपया सात लाख दो सौ पैंतालिस मात्र) विक्रेता ने क्रेता से वसूल पाया।

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

(नि० अ० …उपाध्याय)

(नि० अ० श्री …)

5,000.00 | 10 | 5,010.00 | 2,000

के.के. शुक्ला
उप निबंधक (प्रथम)
लखनऊ

सुशील कुमार सिंह

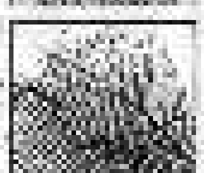

विकास नगर

के.के. शुक्ला
उप निबंधक (प्रथम)
लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 311015

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय-विलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

दिनांकः— 22.11.2006

लखनऊ

गवाहानः—

1.

विक्रेता

2.

क्रेता

टाईपकर्ताः

(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ताः

(सय्यद अख्तर हुसैन)
एडवोकेट

Year: [illegible] Book No. 1

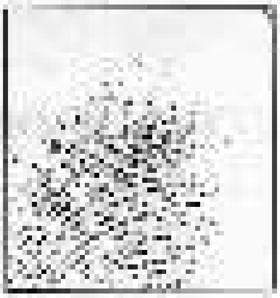

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए. के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता का नाम व पता:– [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

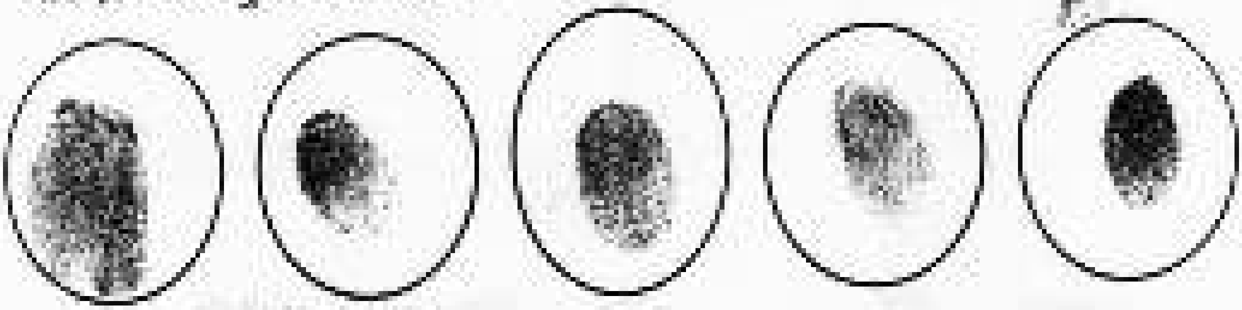

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

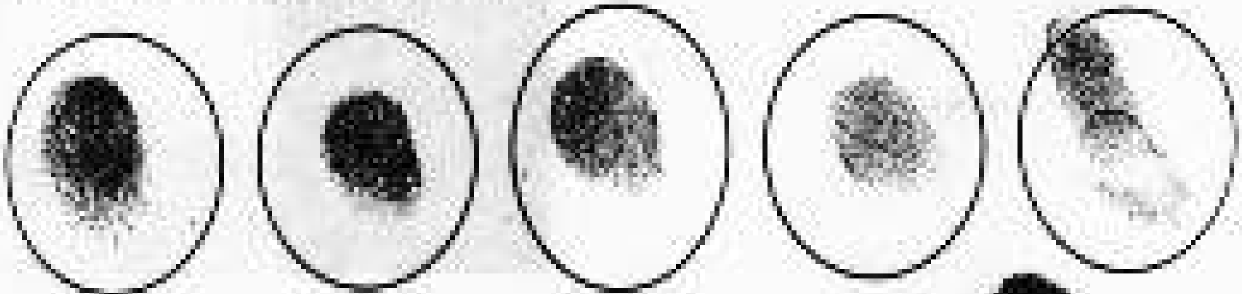

प्रस्तुतकर्ता/विक्रे... के हस्ताक्षर

[illegible]

विक्रेता / क्रेता का नाम व पता:– [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:–

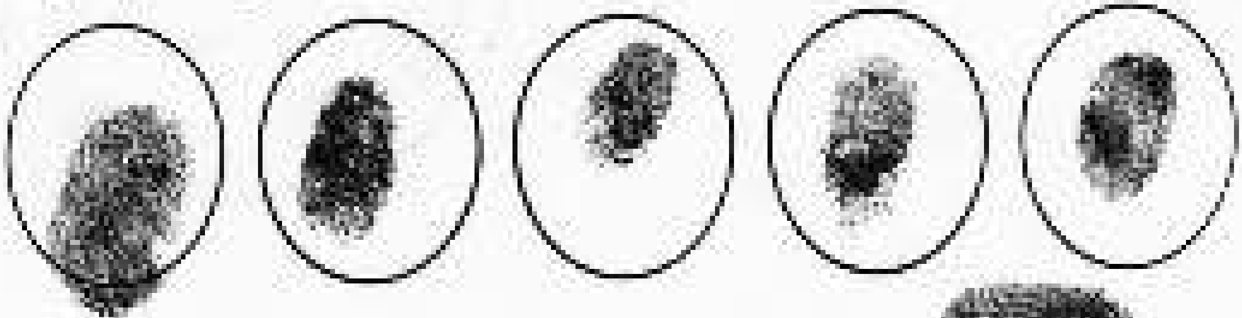

विक्रे... हस्ताक्षर

[illegible]

ক্রেতা

Registration No. 9816 | Year 2008 | Book No. 1

नक्शा नजरी

ग्राम : [illegible]

खसरा संख्या– [illegible]

विक्रेता : [illegible]

क्रेता : श्री चन्द्र

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण

आज दिनांक **21/11/2006** को

बही सं **1** जिल्द सं **7930**

पृष्ठ सं **107** से **128** पर क्रमांक **9816**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

के.के.शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

21/11/2006